निविदा.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद में वर्ष 2018–19 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित परिवारों को तत्काल खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरित किये जाने के लिए स्थानीय स्तर से खाद्यान्न एवं राहत सामग्री क्रय किये जाने हेतु **सामग्री की दरें** उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के अनुरूप टू–बिड सिस्टम अन्तर्गत प्रतिष्ठित फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 23.05.2018 से दिनांक 06.06.2018 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक संग्रह अनुभाग जिला कार्यालय बागेश्वर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य	₹ 500.00+18% जी.एस.टी. (कुल ₹ 590.00)
2. मुहरबंद निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि/समय	दिनांक 06.06.2018 (पूर्वान्ह 12:00 बजे तक)
3. निविदा खोले जाने की तिथि/समय	दिनांक 06.06.2018 (अपरान्ह 3:00 बजे)
4. निविदा खोले जाने का स्थान	जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर।
5. निविदा प्रपत्र की वैबसाईट	www.bageshwar.nic.in

क0सं0 01 पर अंकित निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, बागेश्वर के पक्ष में देय तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न एवं राहत सामग्री का विवरण एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है, जिसे उपरोक्त वर्णित वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: 160 /तेरह–15–सी0आर0ए0/दै0अ0/2017–18 दिनांक 22 मई, 2018

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा विवरण को अपने–अपने स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 23 मई, 2018 के संस्करण में शासकीय दरों पर प्रकाशित करवाते हुए देयक जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर से सत्यापित करवाकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देयक का भुगतान जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग से किया जायेगा।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा विवरण से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को आज ही जनपद की वैबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

22/05/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2018–19 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित परिवारों को तत्काल खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरित किये जाने के लिए स्थानीय स्तर से खाद्यान्न एवं राहत सामग्री क्रय किये जाने का विवरण एवं निविदा शर्तें

1. इच्छुक फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं से खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु टू–बिट सिस्टम 1. तकनीकी निविदा, 2. वित्तीय निविदा के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।
2. क्रय किये जाने वाले खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की वास्तविक मात्रा (किग्रा0 में)/संख्या जनपद स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
3. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द कर दोनों लिफाफों को सम्यक रूप से, लिफाफे में तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा लिखकर, निविदा बड़े लिफाफे में सीलबन्द्र कर रखा जायेगा। तकनीकी निविदा उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. निविदा प्रपत्र जमा करते समय निविदा प्रपत्र मूल्य के रूप में ₹ 500.00+18% जी0एस0टी0 (कुल ₹ 590.00) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिलाधिकारी, बागेश्वर के पक्ष में बनाकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता द्वारा ₹ 5,000.00 (पॉच हजार रूपया मात्र) की एन0एस0सी0/बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पदनाम से खाद्यान्न एवं राहत सामग्री आपूर्ति किये जाने से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी जो खाद्यान्न एवं राहत सामग्री आपूर्ति की तिथि से 01 वर्ष तक बन्धक रखी जायेगी।
6. निविदादाता को फर्म का PAN NO. GST NO. एवं TIN NO. का पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. पंजीकृत इच्छुक फर्मो द्वारा सीलबन्द निविदा दिनांक 06.06.2018 के समय पूर्वान्ह 12:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में रखे गये सीलबन्द बौक्स में डाली जायेगी। नियत तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. समिति द्वारा प्राप्त निविदायें दिनांक 06.006.2018 के समय अपरान्ह 3:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोले जायेंगे। निविदा खोलने के समय तक निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में खोले गये निविदा के सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् आपूर्ति आदेश के आधार पर खाद्यान्न एवं राहत सामग्री को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
11. निविदादाता/फर्मों द्वारा खाद्यान्न एवं राहत सामग्री के नमूने निविदा खोले जाने की तिथि को समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. निविदादाता/फर्मों द्वारा खाद्यान्न एवं राहत सामग्री के दिखाये गये नमूनों के अनुसार खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की आपूर्ति न किये जाने पर जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर जिलाधिकारी को आपूर्ति आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. निविदादाता/फर्मों द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार खाद्यान्न एवं राहत सामग्री का नमूना उपलब्ध न कराने पर उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
14. जिलाधिकारी, बागेश्वर को निविदाओं को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक 22.05.2018

22/05/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

फार्म मूल्य: ₹ 500+18%

फार्म पत्रांक.......................

वित्तीय निविदा फार्म

(Financial Bid)

3. फर्म/प्रोपराईटर का नाम..

4. फर्म का पता, दूरभाष/फैक्स व ई–मेल सहित..

....

कमांक	खाद्यान्न एवं राहत सामग्री	लागत सभी कर सहित
1.	आटा	
2.	चावल	
3.	चीनी	
4.	दाल मिक्स	
5.	तेल सरसों	
6.	नमक	
7.	सब्जी मसाला	
8.	चायपत्ती	
9.	मोमबत्ती	
10	माचिस	
11.	तिरपाल	

उपरोक्त दरें समस्त करों सहित सही अंकित की गयी तथा दी गयी समस्त निविदा शर्तें मुझे मान्य हैं। उक्त दरों पर आपूर्ति किये जाने हेतु मैं सहमत हूँ।

(निविदादाता हस्ताक्षर)

दिनांक ....

मुहर ....

फार्म मूल्य: ₹ 500+18%
फार्म पत्रांक........................

तकनीकी निविदा फार्म

(Technical Bid)

1. फर्म/प्रोपराईटर का नाम...
2. फर्म का पता, दूरभाष/फैक्स व ई–मेल ....
3. PAN NO. (सत्यापित प्रति संलग्न)...
4. GST NO. (सत्यापित प्रति संलग्न)...
5. TIN NO. (सत्यापित प्रति संलग्न)..
6. फर्म का पंजीकरण संख्या..
   (सत्यापित प्रति संलग्न)
7. वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 के (विगत दो वर्ष) आयकर विवरणी (ITR) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (सत्यापित प्रतियॉ संलग्न)।

(निविदादाता हस्ताक्षर)

दिनांक ....

मुहर ....